

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 89/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 25-2-2020

सरकार

बनाम

कप्तान - सुल्तान पुत्रात फिरंगी तह० बयाना जिला—भरतपुर।  
गुजर गगला जटाज

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगावली के खसरा न० 971 रकवा 4.02 हैक्ट में से रकवा 0.10 हैक्ट किस्म भूमि धारा पर सम्बत 2076 में श्री कप्तान - सुल्तान पुत्रात फिरंगी गुजर गगला जटाज तह० बयाना ने सरसे कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 971 रकवा 0.10 हैक्ट वाके ग्राम खरगावली से बेदखल किया जाता है। लगान 1.60 ... का 50 गुणा पैनल्टी राशि 80/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25-2-20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
तहसीलदार  
बयाना (भ)  


इस बयाना का मात नाम  
व. नं. 04 के पेज नं 32  
दिनांक 27/2/20 को वर्ष 2015 के  
(न०) पैनल्टी व. 80/- फसल नीलामी  
की जा चुका है।  
तहसील राजस्थान निसाका  
नरसील बयाना